राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.2(38)नविवि/कोटा/2022 जयपुर, दिनांक : 24 JUL 2023

आदेश

कोटा के ग्राम रामपुरा के आकाशवाणी क्षेत्र जिसमें 18 कॉलोनियां बस चुकी हैं। इन 18 कॉलोनियों के ग्राम रामपुरा के कुल खसरा नंबर 197 में से 132 की भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–बी/90–ए की कार्यवाही 2001 व 2013 में होकर खातेदारों के खातेदारी अधिकार समाप्त कर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज हो चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 10193/2015 में दिनांक 09.01.2018 को दिये गये स्थगन से शेष पट्टे देने एवं शेष 90–ए की कार्यवाही रूक गई है।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 चलाया जा रहा है, जिसके तहत राज्य में कृषि भूमि का अकृषि उपयोग दिनांक 31.12.2021 से पूर्व हो चुका है, उनको सुओ–मोटो 90–ए(8) की कार्यवाही कर पट्टे दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है, परन्तु उक्त क्षेत्र में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के कारण नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पट्टे देने एवं 90–ए की कार्यवाही नहीं की जा रही है। उक्त कॉलोनियों के निवासियों द्वारा भी लगातार पट्टे देने की मांग की जा रही है।

इस संबंध में राजस्व विभाग की सहमति से नगरीय विकास विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 127/2023 दिनांक 21.07.2023 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका सं. 10193/2015 कोटा में आकाशवाणी क्षेत्र ग्राम रामपुरा की संदर्भित कॉलोनियों, जिनकी भूमि पूर्व महाराव कोटा द्वारा अन्य को विक्रय पत्रों द्वारा बेचान की जा चुकी हैं, एवं जिनमें मौके पर अकृषि उपयोग होकर कॉलोनियों बस चुकी हैं/विकसित हो चुकी हैं, रामपुरा के ऐसे 274 बीघा 7 बिस्वा क्षेत्र के संबंध में उक्त रिट याचिका के भाग को संशोधित करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है एवं क्रियान्विती हेतु आदेश नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी करने के निर्देश दिये गये है।

मंत्रिमण्डल द्वारा लिए गए उक्त निर्णय की अनुपालना में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं. 10193/2015 में सम्मिलित संपूर्ण क्षेत्र में से ग्राम रामपुरा के 274–7 बीघा भूमि को छोडते हुए (हटाते हुए) रिट याचिका में संशोधन करने की कार्यवाही की जावे।

रिट याचिका में संशोधन एवं स्थगन आदेश समाप्त होने पर नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा मंत्रिमण्डल आज्ञा की अनुपालना में रामपुरा की भूमि पर काबिज व्यक्तियों को प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत वांछित पात्रता सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार पट्टे देने की कार्यवाही की जावे।

संलग्न :– मंत्रिमण्डल आज्ञा की छायाप्रति

राज्यपाल की आज्ञा से,

(टी0 रविकान्त)
प्रमुख शासन सचिव

General Order

प्रतिलिपी : मय मंत्री मण्डल आज्ञा की प्रति प्रेषित कर निवेदन/लेख है कि निम्नानुसार कार्यवाही करावें

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, राजस्व विभाग को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. श्री राजेश महर्षि, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार को मंत्रिमण्डल आज्ञा की अनुपालना में रिट याचिका में आवश्यक संशोधन करावें।
5. जिला कलक्टर, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि रिट याचिका में प्रभारी अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कोटा के माध्यम से रिट याचिका में संशोधन की आवश्यक कार्यवाही करावें।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा मंत्रिमण्डल आज्ञा की अनुपालना पश्चात नियमानुसार पट्टे देने की कार्यवाही करावें।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

1188/PS/Udh
24/7/23

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

मंत्रिमण्डल की आज्ञा

127/2023

नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांक प.2(38)नविवि/कोटा/2022 दिनांक 21.07.2023 में अंकित माननीय उच्च न्यायालय में राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन रिट याचिका संख्या 10193/2015 में संदर्भित कॉलोनियां, जिनकी भूमि पूर्व महाराव कोटा द्वारा अन्य को विक्रय पत्रों द्वारा बेचान की जा चुकी हैं, एवं मौके पर अकृषि उपयोग होकर कॉलोनियां बस चुकी हैं/विकसित हो चुकी हैं, रामपुरा के ऐसे 274 बीघा, 7 बिस्वा क्षेत्र के संबंध में उक्त रिट याचिका के भाग को संशोधन कराने संबंधी प्रस्ताव को दिनांक 21 जुलाई, 2023 को सरक्यूलेशन के माध्यम से स्वीकृत करते हुए, अनुमोदन किया गया।

इस आज्ञा की कियान्विति हेतु आदेश नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रसारित किये जायेंगे ।

ऊषा
(उषा शर्मा)
मुख्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

डी. 127/मं.मं./2023
जयपुर, दिनांकः 21 जुलाई, 2023

JS-I
24/7/23